कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रतापगढ़।

पत्रांक 3638 / 15–2 दिनांक, प्रतापगढ, जून 12, 2020।

सेवा में,

अधिकृत प्रतिनिधि,
इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड,
प्रयागराज।

विषयः— इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड प्रयागराज द्वारा जनपद प्रतापगढ़—फैजाबाद रोड एन0एच0—330 (पुराना एन0एच0—96) के किमी0 59(चैनेज—58.793) के बांयी पटरी पर खसरा नं0—02,ग्राम करिस्ता,तहसील पटटी,जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु आवागमन में प्रभावित 0.821468 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के अनुमति।

संदर्भः— पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/24/2020/एफ0सी0/670 दिनांक 10.06.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संबोधित एवं आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड प्रयागराज द्वारा जनपद प्रतापगढ़—फैजाबाद रोड एन0एच0—330 (पुराना एन0एच0—96) के किमी0 59(चैनेज—58.793) के बांयी पटरी पर खसरा नं0—02,ग्राम करिस्ता,तहसील पटटी,जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु आवागमन में प्रभावित 0.821468 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन की अनुमति भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निहित शर्तो एवं प्राविधानों के तहत प्रदान की गयी है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—3 में लिखित है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। उक्त के कम में क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि **1,12,681.00** आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई—चालान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) (0.821468 हे0 X 626000) रू0 514238.96 अर्थात् रू0 **5,14,239.00** की धनराशि आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई—चालान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें। उक्त दोनो निधियों की जमा धनराशि की रसीद संलग्नकर अनुपालन आख्या के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त 5 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा प्रस्तुत करें कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त संलग्न सैद्धान्तिक स्वीकृति जो आपको पृष्ठांकित है। इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृति पत्र में अंकित बिन्दु सं0—1 से 15 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाण—पत्र चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें जिससे कि विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को तत्काल भेजा जा सकें।

संलग्नकः—भारत सरकार का संदर्भित पत्र।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़

संख्या / समदिनांकित।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त उ0प्र0, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

प्रभागीय निदेशक
सा0वा वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़